निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 579) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 मई 2016

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–17/2014/756—श्री अवधेश कुमार झा, आई0 डी0–3219, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध इनके बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के पदस्थापन काल में मदरौनी (सहोरा) गाँव के पास कोशी नदी के दायें तट पर दिनांक 15.06.14 से 30.06.14 के बीच कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का प्रबंधन सही ढंग से नहीं करने, अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल द्वारा दिनांक 19.06.14 को दिये गये परामर्श के अनुसार बेडवार का निर्माण नहीं कराने, सहोरा (मदरौनी) ग्राम से संबंधित टूटान स्थल के U/S एवं D/S नोज प्रोटेक्शन के कार्य की गति को बिल्कुल धीमा रखने तथा खरीक प्रखण्ड के अन्तर्गत राघोपुर ग्राम के निकट गंगा नदी पर निर्मित बाँध को कटाव से रोकने में तकनीकी रूप से विफल रहने आदि आरोपों के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16 दिनांक 05.01.15 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त लिए गये निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 1393 दिनांक 22.06.15 द्वारा श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के पत्रांक 1062 दिनांक 14.08.15 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त श्री झा, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व '' मदरौनी (सहोरा) गॉव के पास कोशी नदी के दायें तट पर दिनांक 15.06.14 से 30.06.14 के बीच कराये गये बाढ़ संधर्षात्मक कार्य का प्रबंधन सही ठंग से नहीं करने, दिनांक 19.06.14 के अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल के परामर्श को विलम्ब से अनुपालित करने, जिसके कारण कटाव पर समय रहते नियंत्रण नहीं हो पाया तथा इस पर किया गया व्यय भी कारगर नहीं रहा एवं मदरौनी (सहोरा) ग्राम से संबंधित टूटान स्थल के U/S एवं D/S नोश प्रोटेक्शन के कार्य की गति को धीमा रखने जिसके कारण कराया गया कार्य अनुपयोगी साबित हुआ'' के आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2532 दिनांक 16.11.15 द्वारा श्री झा, कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया गयाः–

(i) निन्दन वर्ष 2014–15

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त विभागीय दण्ड के विरूद्व श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के पत्रांक 01/सी0/नवगछिया दिनांक 29.12.15 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें निम्नांकित तथ्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया हैः–

(i) बाढ़ अवधि में आलोच्य स्थल का खैरियत प्रतिवेदन सुबह सात बजे तक बेतार के माध्यम से दिनांक 23.06.14 से लगातार विभाग/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं जिला प्रशासन को भेजा गया है। साथ ही दिनांक 23.06.14 से 30.06.14 तक खैरियत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल स्थिति एवं प्रेषण प्रसंग सारणीबद्व किया गया है।

(ii) दिनांक 23.06.14 को जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान नदी तट के सामान्य क्षरण को देखा गया। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 23.06.14 तक नदी तट का सामान्य क्षरण हो रहा था एवं आवश्यक कार्य कर लिये गये थे। अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 21.06.14 से 24.06.14 तक इस प्रमण्डल में चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया गया एवं प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गयी।

(iii) दिनांक 24.06.14 को निदेशानुसार तीन एम0 जे0 सी0 में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु सुबह में पटना प्रस्थान किया एवं दिनांक 25.06.14 को लौटकर स्थिति की समीक्षा के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता सह मुख्य अभियन्ता से निदेशानुसार कराये जा रहे कार्य प्रभावी नहीं होने एवं कटाव को रोकने हेतु आवश्यक निदेश/आदेश हेतु अनुरोध किया। इस पर मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनांक 26.06.14 को निदेशानुसार कार्य कराने का निदेश दिया तथा दिनांक 24.06.14 एवं 25.06.14 को अधीक्षण अभियन्ता सह मुख्य अभियन्ता द्वारा ही स्थल पर मौजूद रहकर सभी कार्य कराया गया तब मुख्य अभियन्ता के एन0 आर0–02, दिनांक 29.06.14 द्वारा दिनांक 25.06.14 को किये गये कार्य के प्रबंधन के लिए दोषी ठहराना न्यायपूर्ण नहीं है।

(iv) एन0 आर0–05 दिनांक 26.06.14 द्वारा अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल एवं मुख्य अभियन्ता के निदेशानुसार कराये जा रहे कार्य प्रभावी नहीं होने की सूचना विभाग को दी गयी एवं एन0 आर0–07 दिनांक 27.06.14 से विभागीय टीम के मार्ग दर्शन की मॉग की गयी। इसके बावजूद मुख्य अभियन्ता द्वारा अपनी जवाबदेही एवं दायित्वों से बचने के लिए दिनांक 27.06.14 एवं 28.06.14 को स्थल आदेश पंजी पर मनगढ़त आरोपों एवं टिप्पणी को दर्ज की गयी एवं एन0 आर0–2 दिनांक 29.06.14 द्वारा मनगढ़त आरोपों एवं टिप्पणी से विभाग को प्रतिवेदित किया गया। मुख्य अभियन्ता द्वारा कभी बाढ़ संधर्षात्मक कार्य नहीं कराया गया था इसलिए कई अव्यावहारिक आदेश दिया गया एवं कार्य में विलम्ब का आरोप लगाये हुए विभाग को प्रतिवेदित किया गया जिससे स्पष्ट है कि उनके निर्देशन में कराये गये कार्य की आशातीत सफलता नहीं मिलने पर इन्हें बलि का बकरा बनाया गया।

दिनांक 29.06.14 से नये अधीक्षण अभियन्ता (श्री विनोद कुमार गुप्ता) के निर्देशन में कार्य कराया गया एवं मुख्य अभियन्ता के एन0 आर0–02 दिनांक 29.06.14 के बारे में पत्रांक 804 दिनांक 15.07.14 द्वारा बाढ़ संधर्षात्मक कार्य का पर्यवेक्षण समुचित ढंग से करने का प्रतिवेदन दिया गया।

(v) दिनांक 19.06.14 को अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में निम्न कार्रवाई उसी समय शुरू कर दी गयीः–

(क) दिनांक 19.06.14 को अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल द्वारा निदेशित कार्यो को अविलम्ब करने हेतु सहायक अभियन्ता को निदेशित किया एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामांकित तथा सूचीबद्व संवेदक मॉ काली कन्स्ट्रकशन को सूचित किया गया।

(ख) दिनांक 20.06.14 को संवेदक को कार्य का स्वरूप समझाते हुए स्लोप कटिंग कराने हेतु निदेशित किया गया एवं उसी दिन जे0 सी0 बी0 से कार्य प्रारम्भ हो गया तथा दोपहर में मुख्य अभियन्ता के साथ राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया गया।

(ग) दिनांक 21.06.14 को बैठक के बाद प्रस्थान कर बारह बजे रात्रि में नवगछिया पहुॅचा एवं स्थिति की समीक्षा की। जे0 सी0 बी0 से स्लोप कटिंग में दिक्कत आ रही थी।

(घ) दिनांक 22.06.14 को प्रातः छः बजे स्थल निरीक्षण किया गया एवं वीरपुर बराज स्थल पर बढ़ते जल स्श्राव को देखते हुए पोकलेन मशीन किसी भी तरह लाकर स्लोप कटिंग अविलम्ब पूरा करने का निदेश संवेदक को दिया गया।

(ड.) स्लोप कटिंग के बाद बेडवार बनाया जाना था इसलिए दिनांक 22.06.14 को खाली बोरा एवं एन0 सी0 संवेदक को उपलब्ध कराया गया तथा बालू ढुलाई भराई, सिलाई एवं स्टैकिंग का कार्य कराया गया।

(च) सामान्यतः पोकलेन लाने में तीन दिन का समय लगता है परन्तु सवेदक तत्परता से दिनांक 23.06.14 को शाम पॉच बजे पोकलेन लाकर युद्व स्तर पर कार्य शुरू किया एवं छः बेडवार का निर्माण पूरा कर लिया गया।

(छ) जिला पदाधिकारी, भागलपुर दिनांक 23.06.14 को अपने निरीक्षण में किये गये कार्यो से संतुष्ट थे एवं प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी।

अतः दिनांक 19.06.14 से 23.06.14 तक किये गये कार्यो/प्रयासो/अवस्थाओं एवं प्रबंधन के बारे में अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी। वे स्थल की कठिनाईयों से अवगत थे एवं कार्यो से संतुष्ट थे।

(vi) उपर्युक्त तथ्यों से ''यह आरोप कि सहायक अभियन्ता द्वारा निर्देश की मॉग पर दिनांक 22.06.14 को स्थल पर गया'' निराधार है। अध्यक्ष बाढ़ संधर्षात्मक बल द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन पूर्ण रूपेण किया गया। मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनांक 28.06.14 के पूर्व कार्य में कमी या गति धीमी या प्रबंधन में त्रुटि की शिकायत कहीं भी नहीं की गयी है।

मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25.06.14 से 27.06.14 उपरान्त प्रतिवेदित एन0 आर0–02 दिनांक 29.06.14 स्वार्थ से प्रेरित है क्योंकि उनके ही निर्देशानुसार कराये जा रहे बाढ़ संधर्षात्मक कार्य में सफलता नहीं मिलने के लिये वे ही जिम्मेवार हैं।

(vii) विभागीय पत्र के कंडिका–4 (iv) में समीक्षा की गयी है कि स्लोप कटिंग का कार्य दिनांक 23.06.14 के संध्या से शुरू किया गया तथा मैं (आरोपित पदाधिकारी) दिनांक 22.06.14 को स्थल पर पहुॅचा जबकि वास्तविक यह है कि मै (आरोपित पदाधिकारी) दिनांक 19.06.14 के शाम एवं दिनांक 20.06.14 के सुबह स्थल पर था। दिनांक 20.06.14 से लगातार दिनांक 21.06.14 के रात्रि बारह बजे तक राज्यस्तरीय बैठक के कारण स्थल पर नहीं था परन्तु दिनांक 22.06.14 के सुबह से दिनांक 23.06.14 के रात्रि तक स्थल पर लगातार था एवं दिनांक 19.06.14 को निदेशित कार्य दिनांक 23.06.14 के रात्रि तक पूर्ण कर लिया गया। स्थल पर कार्य दिनांक 20.06.14 से शुरू किया गया था न कि दिनांक 23.06.14 से।

(viii) स्लोप कटिंग निर्धारित स्लोप में करने के बाद बेडवार का निर्माण किया जाना था इसलिए दिनांक 22.06.14 को खाली बोरा एवं एन0 सी0 संवेदक को उपलब्ध कराया गया जिसका उपयोग दिनांक 23.06.14 को किया गया।

(ix) मुख्य अभियंता का दिनांक 27.06.14 को अंकित टिप्पणी कि ''नामित संवेदकों द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है'' तथा दिनांक 28.06.14 की टिप्पणी कि ''एन0 सी0 लेईंग/परकोपाईन लेईंग या अन्य संघर्षात्मक कार्य में सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहा'' तथ्यों पर आधारित नहीं है। स्थल आदेश पंजी से स्पष्ट नहीं होता है कि किन निदेशों का अनुपालन संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है। संवेदक के चयन में मेरा (आरोपित पदाधिकारी का) कोई योगदान नहीं है। संवेदकों का चयन मुख्य अभियंता द्वारा किया जाता है जो कार्यों को गंभीरता से नहीं लिये। इसके लिए वही जिम्मेवार हैं।

स्थल पर कराये गये कार्यों का भुगतान अधीक्षण अभियंता के नामांकन स्वीकृति एवं मुख्य अभियंता के अनुशंसा के आलोक में कर दिया गया है अतएव संवेदकों द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने या अन्य कार्यों में सीरियसनेस नहीं दिखाई देने की टिप्पणी विरोधाभाषी है।

(x) स्लोप कटिंग हेतु जे0 सी0 बी0 मशीन दिनांक 20.06.14 से लगाने के बदले शुरू से ही पोकलेन मशीन लगाये जाने के संदर्भ में संवेदकों का नामांकन केवल श्रम कार्य के लिए होने तथा भारी मशीन एवं निर्माण सामग्री सामान्यतः विभाग द्वारा देने का कथन प्रस्तुत किया गया है।

स्थल पर मात्र 100 मीटर में स्लोप कटिंग का आदेश रहने के कारण जे0 सी0 बी0 मशीन लगाने जो सामान्यतः उपयोगी रहता है, का बयान प्रस्तुत किया गया है।

बाढ़ वर्ष 2014 एवं 2015 में इस स्थल पर विभाग या किसी उच्चाधिकारी द्वारा भारी मशीन रखने का आदेश नहीं था। दिनांक 12.12.15 को सम्पन्न राज्यस्तरीय बैठक में अतिप्रभावित इम्बैंकमेंट के अति संवेदनशीन स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु आवश्यक संयंत्र तैयार अवस्था में बाढ़ अवधि में रखने, जो पूर्व निर्धारित आइडियल रेट तथा कार्यकारी रेट पर भुगतेय होगा, का निदेश है।

अतः स्लोप कटिंग हेतु जे0 सी0 बी0 मशीन दिनांक 20.06.14 से लगाने के बदले शुरू से ही पोकलेन मशीन लगाये जाने का आरोप न्यायोचित एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(xi) 100 मीटर में स्लोप कटिंग के विलम्ब से उपर में एक किलोमीटर कटाव लगने का विश्लेषण तथ्य परक नहीं है क्योंकि कराये गये कार्य का प्रभाव डाउनस्ट्रीम भाग में पड़ता है। आरोप न्यायोचित एवं तथ्य पर आधारित नहीं है।

(xii) स्थल की सुरक्षा की आशातीत सफलता केवल स्लोप कटिंग का आकलन करके निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से उचित नहीं है क्योंकि मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 3.2 (iii) में निहित निदेश के आलोक में कटाव निरोधक कमिटि की अनुशंसाओं को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में पूरी तरह अनदेखी कर बोल्डर एप्रोन के बदले आर0 सी0 सी0 जैक जेट्टी का कटाव निरोधक कार्य में उपयोग किया जाना बाढ़ के प्रथम फेज में ही स्थल पर हुई परेशानी का प्रमाणित अभिलेख है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आरोपित पदाधिकाकरी श्री झा द्वारा विभागीय पत्र के कंडिका 4(v) के संदर्भ में पुनर्विलोकन हेतु निम्न विवरणी अंकित किया गया हैः–

(i) विभागीय पत्रांक 1033 दिनांक 02.06.14 के कंडिका 4 के अनुसार आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के स्वरूप का निर्धारण अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के द्वारा किया गया है।

(ii) बाढ़ प्रबंधन हेतु विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के कंडिका 4.5.1 के अनुसार इस स्थल के समग्र प्रभारी अधीक्षण अभियंता थे जो उस समय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रभार में भी थे।

(iii) बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 के कंडिका 4.1.2 (क) के अनुसार भी ऐसे स्थलों पर कार्यों का सम्पादन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता के देखरेख में किया जायेगा तथा तीन अलग–अलग कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता पाली में कार्यरत रहेंगे।

(iv) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 के द्वारा तीन अलग–अलग टीम स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया एवं कंडिका–2 में प्रतिनियुक्त अभियंता को अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल एवं उच्चाधिकारियों के निदेश पर गुणवत्ता के साथ–साथ आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने एवं कराये गये कार्य को पंजी में अंकित करने का निदेश दिया गया।

(v) उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कराये जा रहे कार्यों के स्वरूप एवं मात्रा का निर्धारण अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्क बल तथा मुख्य अभियंता द्वारा किया जा रहा था और कार्यान्वयन प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा आरोपित पदाधिकारी को अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल द्वारा निदेशित सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खैरीयत प्रतिवेदन भेजना एवं आवासन की व्यवस्था करना था।

(vi) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 के कंडिका–3 की समीक्षा की गई है परन्तु कंडिका–2 की समीक्षा नहीं की गयी है जिसके अनुसार प्रतिनियुक्त अभियंताओं को कार्यान्वयन हेतु निदेशित किया गया है। तीनों प्रतिनियुक्त कार्यपालक अभियंता आरोपित पदाधिकारी के अधीन कार्यरत नहीं थे।

(vii) समीक्षा में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 के कंडिका–3 के अनुसार आरोपित पदाधिकारी को स्थल पर झोपड़ी, रोशनी एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करनी थी जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किया गया। अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर का पत्रांक 804 दिनांक 15.07.14 इसका प्रमाण है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से कार्यों के स्वरूप एवं मात्रा का निर्धारण अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा करने एवं इसका कार्यान्वयन प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा कराये जाने का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि बाढ़ प्रबंधन हेतु लागू विभागीय नियमावली एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 के अनुसार U/S एवं D/S नोज प्रोटेक्शन के कराये जा रहे कार्यों को तेज अथवा धीमा रखने के लिए आरोपित पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी नहीं थे। अंत में अभिलेख एवं साक्ष्य समर्थित पुनर्विलोकन आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में समर्पित उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

(i) मदरौनी ग्राम से संबंधित स्थल पंजी पर दिनांक 18.06.14 को आरोपित पदाधिकारी द्वारा अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल को संबोधित टिप्पणी में आलोच्य स्थल पर कटाव होने एवं स्थानीय सांसद द्वारा दो दिन पूर्व कटाव रोकने हेतु अनुरोध किये जाने के आलोक में निदेश की माँग की गयी जिससे स्पष्ट है कि तीन दिन पूर्व से कटाव हो रहा था एवं बाढ़ संधर्षात्मक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जबकि विभागीय पत्रांक 1033 दिनांक 02.06.14 के कंडिका–10 में उल्लेख है कि ''बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 एवं अन्य विभागीय अनुदेशों के आलोक में आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उनपर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराना कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा। दिनांक 19.06.14 का अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल का स्लोप को फ्लैटर करने तथा छः स्लोपिंग बेडवार का निर्माण कराने का आदेश का अनुपालन दिनांक 23.06.14 को रात्रि में होने का उल्लेख आरोपित पदाधिकारी द्वारा किया गया है। दिनांक 24.06.14 को मुख्य अभियंता द्वारा स्थल आदेश पंजी पर अंकित टिप्पणी कि ''स्थल पर भरा हुआ बोरा विगत दस दिनों से रखने का आदेश दिया जा रहा है फिर इतनी लापरवाही क्यों?'' के क्रम में अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल सं0–3, नवगछिया द्वारा अंकित किया गया है कि ''भरा हुआ बोरा से पहलेवाला संवेदक आंशिक कार्य किया। शाम में छोड़कर चला गया।'' मुख्य अभियंता द्वारा स्थल पंजी में दिनांक 27.06.14 को ''नामित संवेदकों द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है'' एवं दिनांक 28.06.14 को ''क्रमांक 7–8 के अतिरिक्त निदेश है कि कटाव की तीव्रता U/S से D/S की तरफ लगभग 600 मीटर में अधिक है''। एन0 सी0 लेईंग/परक्यूपाईन लेईंग या अन्य कार्य में सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहा है'' की टिप्पणी अंकित की गयी है। नामित संवेदकों से ससमय कार्य सुनिश्चित कराना स्थल पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि मुख्य अभियंता दिनांक 24.06.14 से 28.06.14 तक स्थल पर उपस्थित रहे हैं एवं उनके निर्देश के अनुसार कार्य कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.06.14 से 28.06.14 तक स्थल पर कराये जा रहे कार्यों की स्थिति के विवेचनोपरान्त ही मुख्य अभियन्ता द्वारा एन0 आर0–02 दिनाक 29.06.14 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्व प्रबंधन में कमी एवं स्थल आदेश का विलम्ब से अनुपालन किये जाने अथवा अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी प्रतिवेदन विभाग को दिया गया जिसे आरोपित पदाधिकारी द्वारा मनगंठत आरोप कहा गया परन्तु उक्त तथ्यों से प्रबंधन में कमी एवं स्थल आदेश का विलम्ब से अनुपालित होने का आरोप आरोपित पदाधिकारी के विरूद्व प्रमाणित होता है।

(ii) दिनांक 19.06.14 को अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल के निदेश का अनुपालन विलम्ब से करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.06.14 से ही कार्य प्रारम्भ होने एवं दिनांक 23.06.14 को रात्रि में बेडवार निर्मित होने का उल्लेख किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.14 को दो दिन पूर्व से कटाव होने तथा स्थानीय सांसद द्वारा कटाव पर नियंत्रण करने के अनुरोध की सूचना पर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल द्वारा दिनांक 19.06.14 को 100 मीटर तक स्लोप 3:1 तक फ्लैटर करते हुए 15 मीटर C/C स्पेनिंग पर सैण्ड बैग भरे एन0 सी0 से 3 मीटर चौड़ाई में छः स्लोपिंग बेडवार का निर्माण कराने का निदेश दिया गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक 19.06.14 से ही जे0 सी0 बी0 मशीन से स्लोप में मिट्टी की कटाई प्रारम्भ की गयी जो प्रभावी नही होने पर दिनांक 22.06.14 को संवेदक को पोकलेन मशीन स्थल पर लाकर कटाई कराने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा दिनांक 23.06.14 को संध्या में पोकलेन मशीन लाकर स्लोप में मिट्टी कटाई के बाद बेडवार का निर्माण दिनांक 23.06.14 को ही रात्रि में किया गया। तबतक कटाव की स्थिति अलार्मिंग हो गयी एवं लगभग एक किलोमीटर कटाव होने लगा। इस प्रकार दिनांक 18.06.14 के पूर्व से ही कटाव प्रारम्भ हो जाने एवं दिनांक 19.06.14 को अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल के निदेश के बावजूद प्रारम्भ में जे0 सी0 बी0 मशीन से तथा बाद में दिनांक 23.06.14 को पोकलेन मशीन के निदेशानुसार स्लोप में मिट्टी कटाई कराकर बेडवार का निर्माण कराया गया तबतक कटाव की स्थिति अलार्मिंग हो चुकी थी। इससे अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल के दिनांक 19.06.14 के निदेश का अनुपालन विलम्ब से कराने का आरोप आरोपित पदाधिकारी के विरूद्व प्रमाणित होता है।

(iii) मदरौनी (सहोरा) ग्राम से संबंधित टूटान स्थल के U/S से D/S नोज प्रोटेक्शन कार्य की गति को धीमा रखने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्राक 1033 दिनांक 02.06.14 की कंडिका–4, विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4.5.1 बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली के कंडिका 4.1.2 (क) को उल्लिखित एवं संलग्न करते हुए कहा गया है कि ऐसे आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संधर्षात्मक कार्य के स्वरूप का निर्धारण अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल द्वारा किया जाता है एवं मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के देख रेख में अधीक्षण अभियन्ता के समग्र प्रभार के रूप में कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 के कंडिका–3 की समीक्षा करने परन्तु कंडिका–2, जिसके अनुसार प्रतिनियुक्त अभियन्ताओं को अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल एवं उच्चाधिकारियों के निदेश पर संधर्षात्मक कार्य कराया जाना है, की समीक्षा नहीं करने एवं कंडिका–3 के अनुसार आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन किया गया जो अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक 804 दिनांक 15.07.14 से प्रमाणित होता है का तथ्य भी पुनर्विचार अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया गया है।

नियमावली एवं विभागीय अनुदेशों से स्पष्ट है कि अतिसंवेदनशील स्थल पर अधीक्षण अभियन्ता के समग्र निर्देशन में मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित एवं प्रतिनियुक्त विशेष दल जिसमें एक कार्यपालक अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता/ कनीय अभियन्ता प्रत्येक पाली में होंगे एवं पाली में कार्य करेंगे। मदरौनी (सहोरा) के नजदीक कटाव स्थल भी इसी श्रेणी में आने पर मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1953 दिनांक 28.06.14 द्वारा विशेष दल का गठन किया गया जिसके कंडिका–2 में प्रतिनियुक्त अभियंता को अध्यक्ष, बाढ़ संधर्षात्मक बल एवं उच्चाधिकारियेां के निर्देश पर गुणवत्ता के साथ आवश्यक बाढ़ संधर्षात्मक कार्य कराने तथा कंडिका–3 में कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया (आरोपित पदाधिकारी) को अपने निर्देशन में बाढ़ संधर्षात्मक कार्य कराने का निदेश है। साथ ही स्थल पर झोपड़ी, रोशनी एवं अन्य आवश्यक सामग्री आदि का व्यवस्था करने का भी निदेश अंकित है। उक्त पत्र के कंडिका–3 से आरोपित पदाधिकारी का पर्यवेक्षण में संलिप्तता परिलक्षित होता है तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक 804 दिनांक 15.07.14 जो मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के एन0 आर0–02 दिनांक 29.06.14 के क्रम में है द्वारा उनके कार्यकाल (दिनांक 29.06.14 के बाद) में आरोपित पदाधिकारी के प्रश्नगत स्थल (मदरौनी कटाव स्थल) पर बाढ संधर्षात्मक कार्य का पर्यवेक्षण समुचित ठंग से करने का उल्लेख किया गया है। इससे भी आरोपित पदाधिकारी का उक्त कार्य के पर्यवेक्षण में संलिप्तता प्रमाणित होता है।

विभागीय पत्रांक 1033 दिनांक 02.06.14 के कंडिका–10 में अंकित है कि '' बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 एवं अन्य विभागीय अनुदेशों के आलोक में आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उन पर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार बाढ़ संधर्षात्मक कार्यो का कार्यान्वयन करना, बाढ़ संधर्षात्मक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुॅचकर कार्यो के स्वरूप का निर्धारण करना, स्थलीय दैनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा।'' उक्त से भी आरोपित पदाधिकारी की संलिप्तता परिलक्षित होता है। अतएव मदरौनी कटाव स्थल से असम्बद्वता का आरोपित पदाधिकारी का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2532 दिनांक 16.11.15 द्वारा इन्हें संसूचित निम्न दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(i) निन्दन वर्ष 2014–15

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2532 दिनांक 16.11.15 द्वारा उन्हें सूचित निम्न दण्ड यथावत् रखा जाता है।

(i) निन्दन वर्ष 2014–15

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 579-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in